...ख ...म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.6.19	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उप0। प्रतिवादी पैरोकार उप0। उभय पक्ष को सुना। वादी ने इस आशय का वाद प्रस्तुत किया है कि वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 से 03 की संयुक्त पैतृक अविभाजित खातेदारी का खेत मौजा लक्ष्मीपुरा तह0 शिव जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 408/340, 409/341 रकबा क्रमशः 0.03, 36.12 बीघा किस्म गै.मु. व बा.दो. के आयें हुए है। यह खातेदारी जोत वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 03 उनके पिता मोहम्मद रहीम के फौत के बाद विरासत में प्राप्त है। राजस्व रेकर्ड मे फौतगी नामान्तकरण की कार्यवाई करते समय लिपिकीय भुल होने के कारण उसके रिश्तेदारों द्वारा भूलवंश वादी का घरेलू नाम खमीशा पुत्र मोहम्मदरहीम अंकित करवा दिया गया, जबकि वादी का सही नाम खिलुखां पुत्र मोहम्मदरहीम है। वादी के अन्य सभी आवश्यक सरकारी दस्तावेजो मे भी वादी का नाम खिलुखां पुत्र मोहम्मदरहीम दर्ज है। अतः वादी ने वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में अपने नाम के शुद्विकरण हेतु वाद प्रस्तुत किया है। वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी पैरोकार को सम्मन जारी किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार शिव ने अपने जबाव मे वादी के नाम को दुरूस्त किये जाने मे अपनी अनापति जाहिर की है। हल्का पटवारी एवं हल्का भू-अभिलेख निरीक्षक ने भी अपनी जांच में वादी का नाम खमीशा पुत्र मोहम्मदरहीम के स्थान पर खिलुखां पुत्र मोहम्मदरहीम दुरस्त किये जाने की अनुशंषा की है। वादी ने अपने वाद के समर्थन में दस्तावेजात नकल वर्तमान जमांबंदी, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, परिवार राशन कार्ड व अन्य दस्तावेजात प्रस्तुत किये। हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो व मौखिक अभिकथनों तथा प्रतिवादी के जवाब व जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया। जिसमें वादी का नाम खिलुखां पुत्र मोहम्मदरहीम ही है। लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर खेत खसरा नम्बर 408/340, 409/341 रकबा क्रमशः 0.03, 36.12 बीघा मौजा लक्ष्मीपुरा, पटवार मण्डल मुंगेरिया, तह0 शिव की भूमि के राजस्व रेकर्ड मे अन्य सभी प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम खमीशा पुत्र मोहम्मदरहीम के स्थान पर खिलुखां पुत्र मोहम्मदरहीम होना घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया। सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) शिव, जिला-बाड़मेर न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) ...	

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता)

(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिव
पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह आई.ए.एस.

वादी :– खिलुखां पुत्र मोहम्मदरहीम, जाति–मुसलमान, नि0 लक्ष्मीपुरा तह0 शिव
बनाम
प्रतिवादी :– 1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शिव।
2. इसु, 3. सरीफ, पुत्र मोहम्मदरहीम, 4. शाखा प्रबधंक एस.बी.आई.शिव

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
उपस्थिति :– 1. श्री ब्रजमोहन कुमावत एडवोकेट– वादी।
2. राज पैराकार उप0।

अन्तिम डिक्री

वादी एवं प्रतिवादीगण को आज दिनांक 28.06.2019 को सहायक कलक्टर शिव के समक्ष अन्तिम रूप से निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:–

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर खेत खसरा नम्बर 408/340, 409/341 रकबा क्रमशः 0.03, 36.12 बीघा मौजा लक्ष्मीपुरा, पटवार मण्डल मुंगेरिया, तह0 शिव की भूमि के राजस्व रेकर्ड मे अन्य सभी प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम खमीशा पुत्र मोहम्मदरहीम के स्थान पर खिलुखां पुत्र मोहम्मदरहीम होना घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

निर्णय आज तारीख 28.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(प्रताप सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.15 12:37:06 IST
Reason: SelfAttested
Location: